

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 08 सन 2022

अनवान :-

1. भीमसैन पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी असारजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिष्ठत :- श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 18/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा असारजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भीमराज पुत्र राजेराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम भीमसैन पुत्र राजेराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भीमसैन पुत्र राजेराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असारजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र राजेराम के स्थान पर भीमसैन पुत्र राजेराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेशेकार राज उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा असारजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भीमराज पुत्र राजेराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम भीमसैन पुत्र राजेराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भीमसैन पुत्र राजेराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र राजेराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम भीमसैन पुत्र राजेराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भीमसैन पुत्र राजेराम है प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार /सरपंच की अभिशप्ता के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र राजेराम के स्थान पर भीमराज उर्फ भीमसैन पुत्र राजेराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/

दिनांक :-

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 08/2022 अनवानी भीमसैन बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. भीमसैन पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 08/2022 अनवानी भीमसैन बनाम सरकार में दिनांक 18/02/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 120/123 की कुल 10.1180 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र राजेराम के स्थान पर भीमराज उर्फ भीमसैन पुत्र राजेराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर